संख्या-90/2025/1753/22-2-2024-17(47)/2017

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक जनवरी 2025

विषय :- केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमन सिंह पुत्र श्री भूरे सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-31742/प्रो0अनु0(2)-240/2022/(बैठक दिनांक-01.12.2022) दिनांक-23-10-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमन सिंह पुत्र श्री भूरे सिंह, ग्राम-दादुपुर, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ का निवासी है। पुरानी रंजिश होने के कारण दिनाक 24/25.05.1999 की रात्रि लगभग 12:00 बजे बंदी अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 03 व्यक्तियों की कट्टे से गोली मार कर हत्या कर दी गयी तथा 03 व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसं०टी०नं०-1054/1999 में भा0द0वि की धारा-147 148, 149, 307,302 के अर्न्तगत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०-4) मेरठ के आदेश दिनांक 25.08.2004 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनाक 02.12.2005 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में लघुकृत किया गया। बंदी ने दिनाक 21.11.2022 तक अपरिहार 23 वर्ष 02 माह 15 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष 09 माह 18 दिन की सजा भोगी गयी है। दिनांक 21.11.2022 को बंदी की आयु लगभग 44 वर्ष 06 माह 13 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी। क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि पुरानी रंजिश होने के कारण दिनाक 24/25.05.1999 की रात्रि लगभग 12.00 बजे बंदी अपने 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टे से गोली मार कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर, 03 व्यक्तियों को घायल कर दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अर्न्तगत सिद्धदोष बंदी अमन सिंह पुत्र श्री भूरे सिंह को उ0प्र0 जेल मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमन सिंह (बन्दी संख्या-9923) पुत्र श्री भूरे सिंह, निवासी जनपद-मेरठ की उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अर्न्तगत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की नामिनल रोल पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके नामिनल रोल पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का नामिनल रोल एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

विनोद कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या-90/2025/1753(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/ अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा (क्रि0) डायरी सं0-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 13-11-2024 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।